यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **आहरण एवं वितरण/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **आहरण एवं वितरण/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, देहरादून** के माह 10/2018 से 01/2021 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अनिल कुमार तथा श्री खुशीराम सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा श्री एस०के० त्यागी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 08.02.2021 से 18.02.2021 तक सम्पादित किया गया।

**<u>भाग-I</u>**

1. **<u>परिचयात्मकः</u>** इस इकाई की पृथक रूप से यह प्रथम लेखापरीक्षा है।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः जनपद देहरादून में कार्यरत पात्र कार्मिकों एवं उनके आश्रितों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करना।

(ii) (अ) **विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः**

**(₹ लाख में)**

| वर्ष | प्रारम्भिक अवशेष | | स्थापना | | गैर स्थापना | | अवशेष | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | स्थापना | | गैर-स्थापना | |
| | स्थापना | गैर स्थापना | आवंटन | व्यय | आवंटन | व्यय | आधिक्य (+) | बचत | आधिक्य (+) | बचत |
| 2018-19 | | | | | 1523.03 | 1006.52 | | | | 516.51 |
| 2019-20 | | | | | 1127.38 | 1093.45 | | | | 33.93 |
| 2020-21(01/2021 तक) | | | | | 469.92 | 190.48 | | | | |

(ब) Autonomous Bodies की इकाइयों के विगत तीन वर्षो में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं:

| | | | |
|---|---|---|---|
| वर्ष | | - | - |
| प्रारम्भिक शेष | - | - | - |
| वर्ष के दौरान प्राप्तिया (क) केंद्रान्श (ख) राजयांश (ग) अन्य प्राप्तिया | - | - | - |
| व्यय | - | - | - |
| अंतिम शेष | - | - | - |

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

| वर्ष | योजना का नाम | प्रारम्भिक अवशेष | प्राप्त | व्यय | अधिक्य(+)/ बचत(-) | ब्याज |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |

(iii) इकाई द्वारा केन्द्र सरकार से 87.5% एवं राज्य सरकार से प्राप्त 12.5% धनराशि का व्यय कार्मिकों एवं उनके आश्रितों की चिकित्सा सुविधा हेतु व्यय किया जाता है। गैर-स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई "स" श्रेणी की है। विभाग का कोई संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है।

शासन स्तर पर:- सचिव, श्रम उत्तराखंड शासन

अपर सचिव, श्रम उत्तराखंड शासन

निदेशालय स्तर पर;- निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना

क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर:- प्रभारी चिकित्साधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंहनगर, नैनीताल

औषधालय स्तर पर:- प्रभारी चिकित्साधिकारी/चिकित्साधिकारी/मुख्य फ़ार्मासिस्ट/फ़ार्मासिस्ट

**लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में कार्यालय आहरण एवं वितरण/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, देहरादून को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय आहरण एवं वितरण/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये

निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2019 एवं 03/2020 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन भिन्न वित्तीय वर्ष में अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

**<u>भाग-2(ब)</u>**

**<u>प्रस्तरः01-</u> त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के परिणामस्वरूप धनराशि रु 29203/- का अधिक भुगतान एवं वाहन मे ईंधन भरवाने पर किया गया परिहार्य व्यय।**

उत्तराखंड शासनादेश संख्या 299/XXVII(7)50(16)2016, दिनांक 30.12.2016 के बिन्दु-8 के अनुसार 01 जनवरी 2016 को अथवा उसके पश्चात सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए जाने वाले कर्मचारियों का मूल वेतन उस पद, जिस पद पर संबन्धित कर्मचारी नियुक्त किया गया है के लिए पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स मे प्रयोजय स्तर के न्यूनतम वेतन पर अर्थात प्रथम कोष्ठिका मे निर्धारण किया जाएगा। बिन्दु संख्या 10(3) के अनुसार एसे कर्मचारी जिसे 01 जनवरी और 30 जून के बीच (दोनों तिथि सहित) तथा एसे कर्मचारी जिसे 01 जुलाई और 31 दिसम्बर के बीच (दोनों तिथि सहित) की अवधि मे नियुक्त या प्रोन्नति या सुनिश्चित करियर प्रोन्नयन योजना या समयमान/ चयन वेतनमान के अधीन उन्नयन सहित वित्तीय उन्नयन दिया गया हो, के सम्बन्ध मे वेतनवृद्धि क्रमशः 01 जनवरी व 01 जुलाई को दी जाएगी।

**1-** क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बिमा योजना, देहरादून मे कार्यरत कार्मिकों की सेवा पुस्तिका की नमूना जाँच के दौरान पाया गया कि

**(क)** डोईवाला औषधालय मे कार्यरत चिकित्साधिकारी डॉ0 शैली शर्मा (Employee Code-26710213F01916) की कार्यालय मे नियुक्ति दिनांक 14.09.2018 को की गयी थी। डॉ0 शैली शर्मा, चिकीत्साधिकारी का 09/2018 को उक्त सातवें वेतन आयोग के शासनदेशानुसार पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स मे प्रयोजय स्तर के न्यूनतम वेतन पर अर्थात प्रथम कोष्ठिका मे निर्धारण मूल वेतन रु 56100/- होना चाहिए था, परंतु उक्त कार्मिक को रु 61300/- की दर से भुगतान किया गया एवं सातवें वेतन आयोग के उक्त बिन्दु 10(3) के अनुसार वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि जुलाई-2019 अर्थात रु 57800/- होनी चाहिए थी। परन्तु कार्यालय द्वारा छः माह पूर्व ही माह जनवरी-2019 को वेतन वृद्दि प्रदत्त की गयी थी। इस प्रकार कार्यालय द्वारा त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के परिणामस्वरूप धनराशि रु0 **15248/-**(संलग्नक-क) का अधिक भुगतान किया गया था।

**(ख)** आईटी पार्क औषधालय मे कार्यरत चिकित्साधिकारि डॉ0 अरुन कुमार (Employee Code-26710213M01815) की कार्यालय मे नियुक्ति दिनांक 20.09.2018 को की गयी थी। डॉ अरुन कुमार, चिकित्सा अधिकारी की सातवें वेतन आयोग के उक्त बिन्दु 10(3) के अनुसार वार्षिक वृद्धि की तिथि जुलाई-2019 अर्थात रु 57800/- होनी चाहिए थी। परंतु इकाई द्वारा पहले ही माह 04/2019 को रु 57800/- की वेतन वृद्धि दी गयी तथा पुनः माह 08/2019 को वेतन वृद्धि प्रद्त्त की गई थी। इसके अलावा माह 01/2020 व 01/2021 को रु 59500/- व रु 61300/- की क्रमशः एक-एक ओर वेतन वृद्धि दी गयी थी। इस प्रकार त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के परिणामस्वरूप धनराशि रु0 **13955/-** (संलग्नक-ख) का कार्यालय द्वारा अधिक भुगतान किया गया था।

इस प्रकार इकाई द्वारा त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के परिणामस्वरूप धनराशि रु 29203/- (रु15248+रु13955) का अधिक भुगतान किया गया था।

**2-** क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, देहरादून द्वारा वाहनो से संबन्धित उपलब्ध कराये गए अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि कार्यालय द्वारा वर्ष 2014-15 मे सेलाकुई औषधालय हेतु एक Ambulance वाहन(UK-07GA-1624) क्रय किया गया था, लॉग-बुक की प्रविष्टियों के अनुसार वाहन माह 12/2016 से IT पार्क औषधालय से ही संचालित हो रहा था। आगे वाहन लॉग-बुक की नमूना जाँच के दौरान निम्नलिखित विसंगतियाँ प्रकाश मे आयी।

**(क)** इकाई द्वारा वाहन(UK-07GA-1624) के प्रयोगार्थ हेतु माह 12/2016 से 19.02.21 तक GMS रोड, देहरादून (Anand Prakash & Sons BPC Dealer) से कुल 3160 लीटर पैट्रोल भरवाया गया था, परन्तु Anand Prakash & Sons के साथ किसी भी प्रकार का अनुबंध गठित से संबन्धित

पत्रावली संप्रेक्षा को इकाई द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गयी थी। जिससे यह स्पष्ट नहीं था कि पैट्रोल किस दर से भरवाया गया था।

**(ख)** उक्त वाहन (UK-07GA-1624) जब GMS रोड पैट्रोल पम्प पर(Anand Prakash & Sons BPC Dealer) पैट्रोल डलवाने जाता है तो एक ही स्थान के लिए IT पार्क औषधालय से आने-जाने मे विभिन्न दूरियाँ जैसे 25 km, 26km, 27.8km, 28km, 29km, 30km, 31km आदि तय किया जाना दिखाया गया था। इसी के साथ आगे यह भी पाया गया की वाहन पहले IT पार्क औषधालय से पैट्रोल पर्ची लेने निदेशालय कार्यालय जाता है, जिसके लिए उसे 12 km की दूरी तय करनी पड़ती है तत्पश्चात पैट्रोल डलवाने GMS रोड जाता है जिसके लिए वाहन द्वारा कभी 41 km एवं कभी 42 km की दूरी तय करनी दिखयी गयी थी। वाहन को केवल पैट्रोल की खरीद हेतु **औसतन 31 km**[1] कि दूरी तय करना निरथर्क व्यय की पुष्टि करता है।

**(ग)** आगे यह भी पाया गया कि अनेकों बार एक ही तिथि को जब वाहन रोगी को छोड़ने SMIH हॉस्पिटल, देहरादून जाता है तत्पश्चात वाहन IT पार्क औषधालय वापस आकर पुन: केवल पैट्रोल डलवाने IT पार्क औषधालय से GMS रोड जाता है। जबकि SMIH हॉस्पिटल एवं GMS रोड दोनों स्थान आस-पास होने के कारण उसी दौरान वाहन मे पैट्रोल भरवाया जा सकता था। इस प्रकार कार्यालय द्वारा केवल पैट्रोल की खरीद हेतु लगभग **4000 km** की दूरी तय करना तथा उस पर किया गया निर्थक-व्यय एवं Anand Prakash & Sons BPC Dealer को अप्रत्यक्ष लाभ दिलवाना कार्यालय की उदासिनता को दर्शाता है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने उक्त प्रकरण के सम्बन्ध मे क्रमश: अवगत कराया कि

**i-** वेतन विसंगति का परीक्षण कर कटौती/वसूली कर दी जाएगी।

**ii-** वाहन चालक द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व के निदेशक द्वारा आनंद प्रकाश पैट्रोल पम्प बल्लीवाला से उधार तेल लेने हेतु अनुबंधित किया गया था तथा ईंधन क्रय से संबन्धित सभी बिल लेखा विभाग से प्राप्त किए जा सकते है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं था चूंकि अनुबंध से संबन्धित कोई भी साक्ष्य लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाया गया जिससे स्पष्ट होता है कि Anand Prakash & Sons BPC Dealer को इकाई द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाया जा रहा था। संप्रेक्षा द्वारा बिन्दुवार की गयी पृछा के सम्बन्ध मे उत्तर वाहन चालक से दिलवाये गये है, जिसमे वाहन चालक द्वारा स्पष्ट किया गया है कि सभी सूचना कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। आगे यह भी सूच्य है कि लेखापरीक्षा आपत्ति के उत्तर देना कार्यालयाध्यक्ष का उत्तरदायित्व था, चूंकि कार्यालय व्यय से संबन्धित लेखा-अभिलेखों का रख-रखाव कार्यालय द्वारा किया जाता है न कि वाहन चालक द्वारा।

अत: उक्त प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

[1] AVERAGE = Km (25+26+27+28+29+30+31+40+41)/9=30.88 km

**ए.एम.जी-I/प्रतिवेदन संख्या-146/2020-21**

**(संलग्नक-क)**

| **NAME** | Dr. Shelly Sharma | **Designation** | | Medical Officer | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DoJ** | 14.09.2018 | **Personal No.** | | 26710213F01916 | | |
| | | | | | | |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** |
| **Period** | **Pay Due** | **Pay Drawn** | **DA(%)** | **Difference in Pay(C-B)** | **Excess Pay = (E+E*D)*G** | **Period** |
| **sep-2018 (14.09.18)** | 56100 | **61300** | 9 | 5200 | 189 | 17- Day |
| **Oct-18** | 56100 | 61300 | 9 | 5200 | 5668 | 1-Month |
| **Nov-18** | 56100 | 61300 | 9 | 5200 | 5668 | 1-Month |
| **Dec-18** | 56100 | 56100 | 9 | 0 | 0 | 1-Month |
| **Jan-19** | 56100 | **57800** | 12 | 1700 | 1904 | 1-Month |
| **Feb-19** | 56100 | 57800 | 12 | 1700 | 1904 | 1-Month |
| **Mar-19** | 56100 | 57800 | 12 | 1700 | 1904 | 1-Month |
| **Apr-19** | 56100 | 56100 | 12 | 0 | 0 | 1-Month |
| **May-19** | 56100 | 56100 | 12 | 0 | 0 | 1-Month |
| **Jun-19** | 56100 | 56100 | 12 | 0 | 0 | 1-Month |
| **Jul-19** | **57800** | 56100 | 17 | -1700 | -1989 | 1-Month |
| **TOTAL** | **618800** | **637800** | | **19000** | **15248** | |

**(संलग्नक-ख)**

| **NAME** | Dr. ARUN KUMAR | | **Designation** | Medical Officer | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DoJ** | 14.09.2018 | | **Personal No.** | 26710213M01815 | | |
| | | | | | | |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** |
| **Period** | **Pay Due** | **Pay Drawn** | **DA(%)** | **Difference in Pay (C-B)** | **Excess Pay =(E+E*D)*G** | **Period** |
| **Apr-19** | 56100 | **57800** | 12 | 1700 | 1904 | 1-Month |
| **May-19** | 56100 | 56100 | 12 | 0 | 0 | 1-Month |
| **Jun-19** | 56100 | 56100 | 12 | 0 | 0 | 1-Month |
| **Jul-19** | **57800** | 56100 | 17 | -1700 | -1989 | 1-Month |
| **Aug-19** | 57800 | 57800 | 17 | 0 | 0 | 1-Month |
| **Sep-19** | 57800 | 57800 | 17 | 0 | 0 | 1-Month |
| **Oct-19** | 57800 | 57800 | 17 | 0 | 0 | 1-Month |
| **Nov-19** | 57800 | 57800 | 17 | 0 | 0 | 1-Month |
| **Dec-19** | 57800 | 57800 | 17 | 0 | 0 | 1-Month |
| **Jan-20** | 57800 | **59500** | 17 | 1700 | 1989 | 1-Month |
| **Feb-20** | 57800 | 59500 | 17 | 1700 | 1989 | 1-Month |
| **Mar-20** | 57800 | 59500 | 17 | 1700 | 1989 | 1-Month |
| **Apr-20** | 57800 | 59500 | 17 | 1700 | 1989 | 1-Month |
| **May-20** | 57800 | 59500 | 17 | 1700 | 1989 | 1-Month |
| **Jun-20** | 57800 | 59500 | 17 | 1700 | 1989 | 1-Month |
| **Jul-20** | **59500** | 59500 | 17 | 0 | 0 | 1-Month |
| **Aug-20** | 59500 | 59500 | 17 | 0 | 0 | 1-Month |
| **Sep-20** | 59500 | 59500 | 17 | 0 | 0 | 1-Month |
| **Oct-20** | 59500 | 59500 | 17 | 0 | 0 | 1-Month |
| **Nov-20** | 59500 | 59500 | 17 | 0 | 0 | 1-Month |
| **Dec-20** | 59500 | 59500 | 17 | 0 | 0 | 1-Month |
| **Jan-21** | 59500 | **61300** | 17 | 1800 | 2106 | 1-Month |
| **TOTAL** | **1278400** | **1290400** | | **12000** | **13955** | |

**भाग-2(ब)**

**<u>प्रस्तरः02-</u> धनराशि रु 18.68 लाख का व्ययावर्तन एवं धनराशि रु 7.65 लाख का निष्फल व्यय।**

वित्तीय नियमों मे प्रावधान है कि आवंटित धनराशि का उपभोग उन्ही मदों/कार्यों पर ही किया जाना चाहिए जिसके लिए राशि अवमुक्त कि गयी है। वित्तीय स्वीकृतियों के निर्गमन संबंधी आदेश मे भी इस बात का स्पष्ट उल्लेख था कि किसी भी प्रकार के आधिक्य व्यय तथा विचलन कि स्थिति से शासन एवं वित्त विभाग को अवगत कराया जाएँ।

आहरण एवं वितरण अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, देहरादून के अभिलेखों कि जांच मे संज्ञान मे आया कि कार्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 मे औषधि एवं रसायन मद मे प्राप्त आवंटन रु 9.90 करोड़ के सापेक्ष रु 5.62 करोड़ का व्यय किया गया था एवं रु 4.28 करोड की राशि शासन को समर्पित की गयी थी। औषधि एवं रसयान मद मे आवंटित राशि क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत कार्यरत औषधालयों हेतु औषधि क्रय एवं प्रतिपूर्ति बिलों के निस्तारण हेतु व्यय की जानी थी किन्तु कार्यालय द्वारा व्यय राशि रु 5.62 करोड़ मे से रु 18.68 लाख की राशि नियम विरुद्ध अधोलिखित आहरण वितरण अधिकारियों के अधीनस्थ औषधालयों के प्रतिपूर्ति बिलों के भुगतान पर व्यय की गयी थी। व्यय राशि का औषधालय वार विवरण निमन्वत था-

| क्र0 सं0 | औषधालयों का नाम | आहरण वितरण अधिकारी का संदर्भ | चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान पर किया गया व्यय (धनराशि रु में) |
|---|---|---|---|
| 1 | कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय, रुद्रपुर | आहरण वितरण अधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय, काशीपुर | 424887.00 |
| 2 | कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय, हरिद्वार | डीडीओ, हरिद्वार | 689336.00 |
| 3 | कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय, रुड़की | डीडीओ, हरिद्वार | 443398.00 |
| 4 | कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय, काशीपुर | डीडीओ, काशीपुर | 310256.00 |
| योग | | | 1867877.00 |

कार्यालय के अभिलेखों की जांच के दौरान यह भी संज्ञान मे आया कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली कि दिनांक 28.10.2016 की अधिसूचना द्वारा टिहरी गढ़वाल मे कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत औषधालय संचालन की स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसके परिपेक्ष्य मे कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम चिकित्सा सेवाएँ, उत्तराखंड के अंतर्गत योजना विस्तारिकरण के तहत योजना मे आच्छादित बीमांकितों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान किए जाने के उद्देश्य से जनपद टिहरी गढ़वाल मे औषधालय खोले जाने हेतु एक विभागीय समिति का गठन मार्च-2017 मे किया गया था। विभाग द्वारा टिहरी मे औषधालय संचालन हेतु रु 42500/- प्रतिमाह की दर पर 2500 वर्ग फीट का एक भवन जुलाई-2019 मे किराए पर लिया गया था किन्तु संप्रेक्षा तिथि (फरवरी-2021) तक टिहरी औषधालय मे चिकित्सा अधिकारी एवं स्टाफ की तैनाती न होने के कारण कार्यालय द्वारा औषधालय भवन पर अगस्त-2019 से जनवरी-2021 तक 18-माह के किराए के रूप मे रु 7.65 लाख का निष्फल व्यय किया गया था जिसमे से फरवरी-2020 तक के किराए का भुगतान कार्यालय द्वारा कर दिया गया था शेष किराया रु 467500/-(11-माह का) अद्दत था।

उपरोक्त के संबंध मे इंगित किए जाने पर कार्यालय द्वारा अवगत कराया गाया कि यह भुगतान लाभार्थियों द्वारा शिकायत एवं आरटीआई के कारण मानवता के आधार पर जनहित मे किया गया था। टिहरी औषधालय मे चिकित्सा अधिकारी कि तैनाती के संबंध मे कार्यालय द्वारा बताया गया कि

संदर्भित औषधालय मे शासन द्वारा चिकित्सा अधिकारी कि तैनाती कि गायी थी किन्तु संबन्धित चिकित्सा अधिकारी द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया था।

उत्तर संप्रेक्षा को मान्य नहीं था क्योंकि आवंटित धनराशि का वित्त विभाग कि स्वीकृति के बिना व्यायावर्तन वित्तीय नियमों के विपरीत था। टिहरी चिकित्सालय मे चिकित्सा अधिकारी कि तैनाती के संबंध मे कोई आदेश कार्यालय द्वारा संप्रेक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था। इसके अतिरिक्त अन्य स्टाफ कि नियुक्ति/तैनाती भी कार्यालय द्वारा टिहरी चिकित्सालय मे नहीं की गयी थी न ही औषधालय, चिकित्सालय भवन मे संप्रेक्षा तिथि तक कक्षों का निर्माण एवं एल्यूमिनियम पार्टीशियन का कार्य ही कराया गया था।

अत: प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

**भाग-2(ब)**

**प्रस्तर:03-बिल प्रतिपूर्ति मद में धनराशि ₹1.64 करोड़ के लम्बित दायित्व।**

शासनादेश सं॰1356/VIII/II-करबीयो/2008 दिनाँक 4 जून 2008 द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा योजना में संचालित औषधालयों /चिकित्सालयों के द्वारा उत्कृष्ठ चिकित्सा सुविधा प्रदान करके प्रतिपूर्ति दावों की संख्या में कमी लाने एवं प्रतिपूर्ति दावों का निस्तारण 30 दिन में करने हेतु निर्देशित किया गया था। शासनादेश सं॰1393/VIII/13-II(ई०एस०आई०)/2006 दिनाँक 23 दिसम्बर 2013 के अनुसार ₹2000/- तक के प्रतिपूर्ति बिल संबन्धित औषधालय के प्रभारी चिकित्साधिकारी ₹2000/- से ₹10000/- तक के प्रतिपूर्ति बिल मुख्य चिकित्साधिकारी, ₹10000/- से अधिक व ₹ 100000 लाख तक के बिल निदेशक तथा 100000 लाख से अधिक के प्रतिपूर्ति बिल सचिव, श्रम विभाग द्वारा स्वीकृत किए जाने थे।

आहरण वितरण अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के अभिलेखों की जाँच में संज्ञान में आया कि कार्यालय पर जनवरी 2021 में प्रतिपूर्ति बिलों के रूप में ₹163.63 लाख के दायित्व लम्बित थे जिनका औषधालयवार विवरण निम्नवत था-

| क्र.सं. | औषधालय का नाम | बिलों की संख्या | दाबित राशि(₹ में) |
|---|---|---|---|
| 1 | बंजारावाला/कारगी | 142 | 3146960 |
| 2 | डोईवाला | 41 | 681276 |
| 3 | आई०टी० पार्क | 58 | 1034717 |
| 4 | कोटद्वार | 24 | 553210 |
| 5 | लालतप्पड़ | 47 | 1250741 |
| 6 | मसूरी | 19 | 329457 |
| 7 | नेहरू कालोनी | 105 | 2448845 |
| 8 | ऋषिकेश | 55 | 1259708 |
| 9 | सेलाकुई | 265 | 5071065.59 |
| 10 | सुद्दोवाला | 33 | 555990 |
| 11 | विकास नगर | 01 | 30735 |
| **योग** | | 790 | 16362704.59 |

प्रतिपूर्ति बिलों की नमूना जाँच के दौरान ज्ञात हुया कि धनराशि ₹2000/- तक के प्रतिपूर्ति बिलों को प्रभारी चिकित्साधिकारीयों द्वारा स्वीकृति उपरान्त भुगतान हेतु संबन्धित आहरण वितरण अधिकारी को व ₹2000/- अधिक राशि के बिल औषधालयों द्वारा सीधे निदेशालय को प्रेषित किए जाते थे जिन्हें सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त भुगतान हेतु संबन्धित औषधालयों के आहरण वितरण अधिकारी को प्रेषित किया जाता था। किन्तु प्रतिपूर्ति बिलों की जाँच औषधालय/आहरण वितरण अधिकारी व प्रतिपूर्ति सेल(निदेशालय) स्तर से समुचित रूप से नहीं की जा रही थी। उदाहरणार्थ कालातीत बिलों को स्वीकृत किया जाना एवं सीधी भर्ती प्रकरणों में इमरजेंसी सर्टिफिकेट के बिना भुगतान स्वीकृत किया जाना इत्यादि । वित्तीय वर्ष 2020-21 में जनवरी 2021 तक कार्यालय द्वारा कुल 907 आपूर्ति बिल प्राप्त किए गए थे, 625 बिल स्वीकृत किए गए थे एवं 790 बिल लम्बित थे। स्पष्ट है कि प्रतिपूर्ति बिलों का निस्तारण भी अत्यधिक विलम्ब से किया जा रहा था। समय से प्रतिपूर्ति बिलों का निस्तारण न किए जाने के कारण औषधि व रसायन मद के अन्तर्गत प्राप्त ₹428.46 लाख की राशि वर्ष 2018-19 में व ₹14.25 लाख की राशि वर्ष 2019-20 में कार्यालय द्वारा शासन को समर्पित की गई थी। इस प्रकार समयन्तर्गत प्रतिपूर्ति बिलों का निस्तारण न किए जाने के परिणामस्वरूप जहां एक ओर बीमांकितों को योजना का पूर्ण लाभ नहीं मिल पा रहा था , वहीं दूसरी ओर विभाग पर प्रतिपूर्ति बिलों के रूप में दायित्व बढ़ते जा रहे थे।

उपरोक्त के सम्बन्ध में इंगित किए जाने पर कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि निदेशालय में सम्पूर्ण उत्तराखण्ड के औषधालयों से प्राप्त प्रतिपूर्ति दावों का भुगतान किया जाता है।

उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नहीं था क्योंकि प्रतिपूर्ति दावों का निस्तारण 30 दिनों के अन्दर किए जाने के निर्देश शासन द्वारा दिये गए थे। जहां तक बजट की उपलब्धता का प्रश्न है, कार्यालय द्वारा प्रतिपूर्ति बिलों का ससमय प्रतिपूर्ति बिलों का निस्तारण न करने के कारण संबन्धित मद में उपलब्ध आवंटन से वर्ष 2018-19 में व वर्ष 2019-20 में क्रमशः ₹428.46 लाख व ₹14.25 लाख की राशि शासन को समर्पित की गई थी।

अतः बिल आपूर्ति मद में धनराशि ₹1.64 करोड़ के लम्बित दायित्वों का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

**भाग-2(ब)**

**प्रस्तर:04- वित्तीय नियमों के विपरीत स्थानीय स्तर पर धनराशि ₹219.94 लाख की औषधियों का क्रय।**

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के बिन्दु संख्या-34 के अनुसार " प्रत्येक अवसर पर ₹25000/- से अधिक तथा ₹ 2,50,000/- तक लागत की सीमा में क्रय की जाने वाली सामग्री का क्रय विभागाध्यक्ष/कार्यलाध्यक्ष द्वारा सम्यक रूप से गठित समुचित स्तर के तीन सदस्यों की स्थानीय क्रय समिति की संस्तुतियों पर किया जा सकता है।" तथा 2.50 लाख से अधिक की सीमा का क्रय ई-प्रोक्यूरमेंट के माध्यम से किया जाना था।

इसके अतिरिक्त **" SUB-COMMITTEE ON MEDICAL SERVICES AND MEDICAL EDUCATION" की Recommendations के अनुसार:-**

**(1) Protocols for local purchase of medicines should also be clearly defined.**

(2) ESIC Delhi is engaging local chemist on the basis of discount offered for branded and generic medicine, for the medicines which are not supplied by Central Store.

(3) The ESIS system should follow the same system for dispensing of medicine, as mentioned above.

क्षेत्रीय कार्यालय की लेखापरीक्षा हेतु चयनित नमूना माहों 03/2019 एवं 03/2020 की की जाँच में पाया गया औषधालयों द्वारा अधिप्राप्ति नियमावली के विपरीत औषधियों का स्थानीय क्रय तथा SST हेतु औषधियों का क्रय स्थानीय स्तर पर बिना कोटेशन के टुकड़ों में कर किया जा रहा था। जिससे औषधालयों द्वारा मात्र 11 प्रतिशत से 28 प्रतिशत छूट के साथ ही औषधि क्रय की जा रही थी, जिसमें GST अतिरिक्त देय था। क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर उपलब्ध सूचना के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21(01/2021 तक) में क्रमशः ₹45.31 लाख, ₹128.53 लाख एवं ₹46.10 लाख की औषधियों का स्थानीय क्रय किया गया। औषधालयों द्वारा औषधियों का क्रय करते समय Generic अथवा Branded औषधि का उल्लेख भी नहीं किया गया था। जबकि उक्त बिन्दु संख्या-2 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार ESIC Delhi एवं Noida में 07.05.2018 से 31.05.2020 तक एम्पेनल्ड लोकल केमिस्ट से औषधियों का स्थानीय क्रय Generic Medicine-21.05% Discount((Inclusive of all taxes)) एवं Branded Medicine-62.05%(Inclusive of all taxes) के अनुसार क्रय की गई थी , जिसमें GST अतिरिक्त देय नहीं था। ESIC द्वारा जयपुर में औषधियों के स्थानीय क्रय हेतु Generic Medicine- (Minimum)18.6% Discount((Inclusive of all taxes)) एवं Branded Medicine-(Minimum)55.10%(Inclusive of all taxes) तथा लखनऊ में Branded Medicine-(Minimum)20% Discount((Inclusive of all taxes)) एवं Generic Medicine-(Minimum)60%(Inclusive of all taxes) पर ही लोकल केमिस्ट के एमपनेलमेंट हेतु निविदा आमंत्रित की गई थी।

विभाग द्वारा स्थानीय क्रय हेतु औषधि क्रय नीति/नियमावली नहीं बनाई गई है तथा कार्यालय द्वारा स्थानीय स्तर पर क्रय औषधियों की गुणवत्ता भी सुनिश्चित नहीं की गई थी।

इकाई से उक्त सम्बंध में पूछे जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि किसी भी औषधालय द्वारा निविदा के माध्यम से क्रय नहीं किया गया तथा औषधालय स्तर पर औषधियों का क्रय बीमांकित के रोग , इमरजेंसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये उत्तरखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के अन्तर्गत किया गया। दर्शित क्रय अलग-अलग औषधालयों द्वारा अलग-

अलग समय पर बीमांकितों के आवश्यक/जीवन रक्षक औषधि हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के अन्तर्गत बिन्दु संख्या-33 तथा 34 के क्रम में किया गया। चूँकि विभाग द्वारा वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21(01/2021 तक) में क्रमशः ₹45.31 लाख , ₹128.53 लाख एवं ₹46.10 लाख की औषधियों का स्थानीय क्रय किया गया, यदि विभाग द्वारा उक्त वर्णित व्यवस्था के अनुसार निविदा के माध्यम से छूट के आधार पर लोकल केमिस्टों को एम्पेनल्ड कर औषधियों का क्रय किया जाता तो परिहार्य व्यय से बचा जा सकता था। इसके अतिरिक्त कुछ प्रकरणों में बिना किसी छूट के भी औषधियों का स्थानीय क्रय किया गया था।

अतः वित्तीय नियमों के विपरीत **₹ 219.94 लाख** (₹45.31 लाख+₹128.53 लाख+₹46.10 लाख) की औषधियों का क्रय किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

**<u>भाग 2(ब)</u>**

**<u>प्रस्तरः05-</u> धनराशि रु 3.94 लाख के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों का अनियमित भुगतान किया जना।**

उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या 1356/VIII/11-कराबीयो/2008, दिनाक: 04-जून-2008 के **बिन्दु संख्या-6** के अनुसार बीमांकित द्वारा प्रतिपूर्ति दावा प्रस्तुत किए जाने कि तिथि का उल्लेख आवश्यक होगा। समयान्तर्गत दावा प्रस्तुत न किए जाने कि स्थिति मे गुणावगुण के आधार पर शिथिलीकरण हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किए जाएगे। **बिन्दु संख्या**-9 में स्पष्ट उल्लिखित है कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना में संचालित औषधालयों/चिकित्सालयों के द्वारा उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा प्रदान करके प्रतिपूर्ति दावों की संख्या में कमी लायी जाए लेकिन नियमान्तर्गत प्राप्त प्रतिपूर्ति दावों का निस्तारण 30 दिनों मे ही कर दिया जाए।

क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बिमा योजना, देहरादून के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों से संबन्धित अभिलेखों कि नमूना जांच के दौरान पाया गया कि बीमांकितों/रोगियों द्वारा आकस्मिकता कि स्थिति मे निजी चिकित्सालयों मे उपचार करवाए थे। उपचार के दौरान बीमांकितों/रोगियों द्वारा न तो संबन्धित डिस्पेन्सरी को अवगत करवाया गया और न ही भुगतानित बिलों के साथ **Emergency certificate** संलग्न पाये गये थे। इसके अतिरिक्त उक्त नियमो के प्रतिकूल प्रतिपूर्ति दावों का भुगतान भी इकाई द्वारा किया गया था। इस प्रकार इकाई ने धनराशि रु 3.94 लाख के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों का अनियमित भुगतान किया गया था, जिसका विवरण निम्नलिखित है:-

| क्र सं | नाम (श्री/श्रीमति)/ IP No | उपचार अवधि | आपत्ति धनराशि (रु) |
|---|---|---|---|
| **01** | सुनील कुमार शर्मा /6110255315 | 29.06.17 से 27.12.17 | 51255 |
| बीमांकित श्री सुनील शर्मा को ऋषिकेश औषधालय द्वारा HIHT एवं SMIH हेतु रेफर किया गया था परन्तु उनके द्वारा अपनी मर्जी (ऋषिकेश औषधालय के पत्र: प्रतिपूर्वी दावा/2018-19/79, दिनांक 01.02.2019) से निर्मल आश्रम ऋषिकेश मे दिनांक 29.06.17 से 27.12.17 तक उपचार करवाया था। इस पत्र मे चिकित्सा अधिकारी, ऋषिकेश औषधालय द्वारा स्पष्ट उल्लेख किया कि चिकित्सालय टाई-अप के अंतर्गत नहीं आता है एसी स्थिति मे बीमांकित के प्रतिपूर्ति दावा का भुगतान करना औचित्य नहीं है। श्री शर्मा का माह 12/2017 का प्रतिपूर्ति-दावा कार्यालय मे 12/2018 को प्राप्त हुआ तथा बिल का भुगतान प्राप्ति के 01 वर्ष पश्चात (माह 01/2020) किया जाना पाया गया था। इतने दिनो तक बिलों को रोका जाना एवं रोगी के अपनी मर्जी से टाई-अप चिकित्सालय के ईथर उपचार करवाना तत्पश्चात इकाई द्वारा उसका भुगतान किया जाना नियमो के प्रतिकूल था। | | |
| **02** | प्रदीप /6111831978 | 28.10.19 से 31.10.19 | 13735 |
| डिस्चार्ज समरी के अनुसार रोगी चिकित्सालय से दिनांक 31.10.2019 को डिस्चार्ज किया गया था तथा आकस्मिक सर्टिफिकेट के अनुसार दिनांक 31.11.2019 को रोगी को चिकित्सालय से डिस्चार्ज किया गया था। इस प्रकार रोगी द्वारा डिस्चार्ज समरी के अनुसार आकस्मिक सर्टिफिकेट उपचार अवधि के पश्चात दिनांक 20.11.2019 का संलग्न किया था, जबकि आकस्मिकता की स्थिति मे रोगी द्वारा औषधालय को उपचार के दौरान अवगत कराया जाना चाहिए था। इस प्रकार इकाई ने बिना किसी जाँच के उपचार अवधि के पश्चात के आकस्मिक सर्टिफिकेट के आधार पर धनराशि रु 13735/- का भुगतान किया गया था। | | |
| **03** | सीमा त्यागी /6110342415 | 02.10.18 से 05.10.18 | 66890 |
| नियमानुसार उपचार अवधि के एक वर्ष के भीतर प्रतिपूर्ति दावा हेतु आवेदन किया जाना होता है परंतु रोगी दिनांक 05.10.2018 को डिस्चार्ज के पश्चात चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा हेतु 01-वर्ष पश्चात दिनांक 17.01.2020(शपथ पत्रानुसार) को आवेदन करती है, जबकि नहेरु कॉलोनी डिस्पेन्सरी, देहरादून द्वारा प्रतिपूर्ति दावा की प्राप्ति तिथि 10.10.2019 को दर्शाई गयी है। इसके अतिरिक्त इकाई ने रोगी को धनराशि रु 66890/- का भुगतान Emergency सर्टिफिकेट संलग्न किए बिना एवं डिस्पेन्सरी से रैफर | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| कराये बिना ही कर दिया। जो उक्त नियमो के प्रतिकूल था। | | | |
| **04** | अरविन्द सिंह असवाल/ 6109617600 | 30.05.19 से 21.07.19 | 82350 |
| इकाई ने रोगी को धनराशि रु 82350/- का भुगतान बिना Emergency सर्टिफिकेट एवं डिस्पेन्सरी से रैफर कराये बिना ही कर दिया। जबकि आकस्मिकता की स्थिति मे Emergency सर्टिफिकेट बिल के साथ संलग्न किया जाना चाहिए था। | | | |
| **05** | मदन प्रसाद ध्यानी/6111144412 | 04.02.19 से 25.06.19 | 79852 |
| बीमांकित के पत्रानुसार उपचार आकस्मिकता कि स्थिति मे करवाया गया था परंतु आकस्मिकता की स्थिति मे रोगी द्वारा औषधालय को न तो उपचार के दौरान अवगत कराया और न ही बिल के साथ आकस्मिक सर्टिफिकेट संलग्न किया था। जिसके लिए इकाई द्वारा धनराशि रु 79852/- का बिना जांच के भुगतान किया गया। | | | |
| **06** | रमेश कुमार/ 6109926727 | 13.12.18 से 01.03.19 | 99816 |
| बीमांकित द्वारा टाई-अप चिकित्सालय मे उपचार नहीं करवाया गया था तथा आकस्मिकता की स्थिति मे कराये गए उपचार के दौरान न तो औषधालय को अवगत कराया गया था और न ही बिल के साथ आकस्मिक प्रमाण-पत्र संलग्न किया गया था। जबकि बीमांकित/रोगी के प्रार्थना पत्र दिनांक 28.02.2019 पर कार्यालय द्वारा LDC को स्पष्ट निर्देशित किया गया था कि Deposit the bills with all formalities as per norms, परन्तु इकाई ने टिप्पणी को ईथर रखते हुये धनराशि रु 99816/- का अदेय भुगतान किया गया। | | | |
| **कुल योग** | | | **393898** |

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों का भुगतान मुख्य चिकित्सा अधिकारी के आदेशनुसार किए गए है। इकाई उत्तर मान्य नहीं था चूंकि समयान्तर्गत दावा प्रस्तुत न किए जाने कि स्थिति मे शिथिलीकरण हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित नहीं किए गए थे तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों का भुगतान निर्धारित तिथि के पश्चात एवं नियम विरुद्द किए जा रहे थे।

अत: प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

**भाग-III**

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या | भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या |
|---|---|---|
| इस इकाई की पृथक रूप से यह प्रथम लेखापरीक्षा है। | | |

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण | अनुपालन आख्या | लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|
| इस इकाई की पृथक रूप से यह प्रथम लेखापरीक्षा है। | | | | |

**भाग-IV**

**इकाई के सर्वोत्तम कार्य**

.....शून्य.....

**भाग-V**

**आभार**

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय सचिव, उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, देहरादून तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

(i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया :**

| **नाम** | **पदनाम** | **अवधि** |
|---|---|---|
| डा॰ आकाशदीप | **प्रभारी चिकित्सा अधिकारी** | अगस्त 2015 से वर्तमान तक |

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति आहरण एवं वितरण/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (ए.एम.जी-I) कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) महालेखाकार भवन कौलागढ़ 248195 को प्रेषित कर दी जांय।

**वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी,**
**ए.एम.जी-I**